न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या 121 / 2018 (RCMS No. 2018/00342)

प्रार्थीगण

1. गणेशराम पुत्र मोती जाति कुम्हार
2. चन्द्राराम पुत्र मोती जाति कुम्हार
3. पेमाराम पुत्र मोती जाति कुम्हार
4. मोहनराम पुत्र मोती जाति कुम्हार निवासीगण कुचामनसिटी तह. कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कृष्णादेवी पुत्री नानूराम जाति कुम्हार
2. तीजूड़ी देवी पत्नी छिगनाराम जाति कुम्हार
3. नन्दाराम पुत्र पुत्र चौथूराम जाति कुम्हार
4. नेमीचन्द पुत्र नानूराम जाति कुम्हार
5. बाबूलाल पुत्र चौथूराम जाति कुम्हार
6. भंवरीदेवी पत्नी चौथूराम जाति कुम्हार
7. भोमाराम पुत्र चौथूराम जाति कुम्हार
8. मुन्नीदेवी पुत्री छिगनाराम जाति कुम्हार
9. राधेश्याम पुत्र छिगनाराम जाति कुम्हार
10. रामेश्वरी देवी पुत्री छिगनाराम जाति कुम्हार
11. लक्ष्मणराम पुत्र छिगनाराम जाति कुम्हार
12. शिवजीराम पुत्र छिगनाराम जाति कुम्हार
13. सोहनीदेवी पुत्री चौथूराम जाति कुम्हार सभी निवासीगण कुचामनसिटी
14. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर नागौर
15. तहसीलदार कुचामनसिटी
16. उप पंजीयक कुचामनसिटी

प्रार्थना—पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री अनिल कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह अप्रार्थी सं. 1 एवं 4 की ओर से।
श्री बोदूराम अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :— 29.11.2018

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:46:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में [illegible]र से है कि उपर्युक्त उनवान का राजस्व वाद मजबूत बिना[illegible] [illegible] [illegible]में जैरतजबीज है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मि[illegible] [illegible] [illegible]ाम कुचामनसिटी की सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1961 रकबा 0.080[illegible] [illegible]क्टर, खसरा नम्बर 1962 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1963 रकबा 2.1700 हैक्टर कुल रकबा 2.27 हैक्टर जो गत खसरा नम्बर 725, 726 से अंकित हुये है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 13 के

...2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पूर्वजो द्वारा करीबन 40 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया गया तथा प्रार्थीगण के पिता के हक हिस्से में वादग्रस्त कृषि भूमि सम्पूर्ण अकेले के हक हिस्से में रखी गई तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम वर्तमान खसरा नम्बर 1907, 1908, 1909, 2606/1903 कुल रकबा 1.91 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 739, 740 मे से बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण का नाम हटवाना तय किया तथा प्रार्थीगण के पिता के अकेले के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि रखी गई जिसमे से अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के पूर्वजो का नाम हटाया जाना था, प्रार्थीगण के पिता ने खसरा नम्बर 1907, 1908, 1909, 2606/1903 कुल रकबा 1.91 हैक्टर मे से अपना नाम हटवा लिया तथा उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 13 के पूर्वजो के नाम इन्द्राज करवा दी गई लेकिन वादग्रस्त कृषि भूमि से अप्रार्थीगण स. 1 ता 13 के पिता का नाम नही हटवाया जा सका क्योकिं स्वर्गीय चोखाराम बाहर चले जाने के कारण सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष उपस्थित नही हो सके, बंटवारे के बाद से अप्रार्थी के स्वर्गीय पिता चोखाराम ने खसरा नम्बर 1907, 1908, 1909, 2606/1903 में अपना रहवासी मकान बना लिये तथा अपने हिस्से में आवश्यकता अनुसार विक्रय भी किया गया, प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता द्वारा अपने हिस्से मे आये 1961, 1962, 1963 मे अपने पक्के मान बना रखे है तथा अपने नाम से विद्युत सम्बन्ध ले रखा है एवम शान्तिपूर्वक कुएं से सिंचाई कर काश्त करते आये है अप्रार्थीगण ने गत 40 वर्षो में कभी भी उक्त बंटवारे से इन्कार नही किया तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण काश्त कब्जे में दखल नही किया, सम्पूर्ण रकबा मौके पर एक चक है तथा मौके पर बाड़ खन्दक लगी हुई है प्रार्थीगण मौके पर एक्सलेजीव कब्जे में है, राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने से अप्रार्थीगण की नीयत में फितूर आ गया है तथा अप्रार्थीगण माफिक बंटवारा अपना राजस्व रेकर्ड से हटाने के लिए आवश्यक दस्तावेज तकमिल करने को तैयार नही होने के कारण प्रार्थीगण को घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया, उपरोक्त बंटवार के अनुसार ही वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पिता को सुपुर्द कर दिया गया उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पिता बंटवारे के बाद लगातार काश्तकार की हैसियत से काबिज चले आ रहे थे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात से प्रार्थीगण निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है, अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 1907, 1908, 1909, 2606/1903 कुल रकबा 1.91 हैक्टर पर काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के नाम से इन्द्राज वादग्रस्त कृषि भूमि मे होने की जानकारी पूर्व में नही हो सका तथा प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि को विकसित करने के लिये जमाबन्दी की नकले निकलवाने पर जानकारी में आया की अप्रार्थीगण सं. 1 से 13 का राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के साथ चला आ रहा है, अप्रार्थीगण 1 से 13 नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क किया तथ ा वर्षो पूर्व हल्की भारी होने के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:46:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

किया गया तथा उसी अनुसार प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं. 1 ता 13 को अपना नाम हटवाने का कहा लेकिन अप्रार्थीगण की नीयत खराब हो गई तथा अपना नाम नही हटवा रहे है, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण बंटवारे के अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण गलत राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज के आधार पर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा है जिसमें सफल हो जाने की परिस्थिति में प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में नही हो सकेगी, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि कस्बा कुचामनसिटी की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1961, 1962, 1963 कुल रकबा 2.27 हैक्टर में प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से रोक टोक दखल अन्दाजी नही करे तथा गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार से बेचान बख्शीश नही करे तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी सं. 16 (अप्रार्थी 1 से 13 द्वारा) प्रस्तुत किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 एवं 4 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया उपस्थित आये, अप्रार्थी सं. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आये, अप्रार्थी सं. 7 ने जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा, अप्रार्थी सं. 8, 12, 14, 15, 16 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही करने पर जवाब अवसर बन्द किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा नकल खतौनी सम्वत 2037–2046, 2046–2049, 2058–2061, 2074–2077,मिलस बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065, मिलान क्षेत्रफल की नकल,बिजली बिल की छाया प्रतियॉ, प्रस्तुत की है तथा बहस दौरान सहमति पत्र की छाया प्रतियॉ, सजरा खानदान की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया है तथा अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र [illegible] नही है चूँकि आज दिन तक उक्त भूमि उनके नाम दर्ज [illegible] आज दिन भी कब्जा काश्त उनका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबंदी नकल सम्वत 2037–2040 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 739, 740 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में चौथू मंगला हीरा मोती पि. भैरू कौम कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 725, 726 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:46:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मोती चौखा पि. भेरू कौम कुम्हार सा. देह खातेदार अंकित है, सम्वत 2046–2049 कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1961 1962 1963 कुल रकबा 2.27 हैक्टर में मोती चौखा पि. भेरू कौम कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2058–2061 में कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1961 1962 1963 कुल रकबा 2.27 हैक्टर में चन्द्राराम पेमाराम गणेशराम मोहनराम पि. मोती जोरली बैवा मोती चौखा पुत्र भैरू जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है, नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1907, 1908, 1909, 2606/1903 कुल रकबा 1.91 हैक्टर में चौथू मंगला हीरा पि. भेरू जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है, चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1961 1962 1963 कुल रकबा 2.27 हैक्टर मे

1.) कृष्णादेवी पुत्री नानूराम हिस्सा -1/28 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
2.) गणेशराम पुत्र मोती हिस्सा -1/10 जातिदेह खातेदार .कुम्हार सा -
3.) चन्द्राराम पुत्र मोती हिस्सा -1/10 जातिदेह खातेदार .कुम्हार सा -
4.) जोरली पत्नि मोती हिस्सा -1/10 जातिदेह खातेदार .कुम्हार सा -
5.) तीजूडीदेवी पत्नि छिगनाराम हिस्सा -1/84 जातिकुम्हार - सादेह खातेदार .
6.) नन्दाराम पुत्र चोथूराम हिस्सा -1/14 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
7.) नेमीचन्द पुत्र नानूराम हिस्सा -1/28 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
8.) पेमाराम पुत्र मोती हिस्सा -1/10 जाति -कुम्हार सादेह खातेदार .
9.) बाबूलाल पुत्र चोथूराम हिस्सा -1/14 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
10.) भंवरीदेवी पुत्री चोथूराम हिस्सा -1/14 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
11.) भोमाराम पुत्र चोथूराम हिस्सा -1/14 जातिदे .सा (प्रजापति)कुम्हार -ह खातेदार
12.) मुन्नीदेवी पुत्री छिगनाराम हिस्सा -1/84 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
13.) मोहनराम पुत्र मोती हिस्सा -1/10 जातिदेह खातेदार .कुम्हार सा -
14.) राधेश्याम पुत्र छिगनाराम हिस्सा -1/84 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
15.) रामेश्वरीदेवी पुत्री छिगनाराम हिस्सा -1/84 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
16.) लक्ष्मणराम पुत्र छिगनाराम हिस्सा -1/84 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
17.) शिवजीराम पुत्र छिगनाराम हिस्सा -1/84 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -
18.) सोहनीदेवी पुत्री चोथूराम हिस्सा -1/14 जातिदेह खातेदार .सा (प्रजापति)कुम्हार -

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:46:56 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति [illegible] की छाया प्रतियो अनुसार चोखा के वारिसान द्वारा खसरा नम्बर 1961 1962 1963 में कृष्णादेवी नेमीचंद जमना पि. नानूराम, छिगनाराम के वारिसान भोमाराम बाबूलाल नन्दाराम भंवरीदेवी सोहनीदेवी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रतनीदेवी इत्यादि द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में सहमति पत्र लिखकर दिया है जो नोटेरी पब्लिक से दिनॉक 26.12.2018 की लिखित तस्दीक सुदा है, जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य भूमि को लेकर आपस में लेने एवं देने का कथन स्वीकार किया हुआ है। विवादित भूमि आज दिन एक ही परिवार के मध्य दर्ज होकर चली आई है तथा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसकी तस्दीक प्रस्तुत सजरा खानदान से होती है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है, चूँकि यदि पक्षकार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नही किया गया तो मौके पर परिशान्ति भंग होना संभाव्य है। अतः प्रार्थना–पत्र साबित होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ता–फैसला वाद पांबद किया जाता है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1961, 1962, 1963 कुल रकबा 2.27 हैक्टर में अप्रार्थी सं. 1 ता 13 बिना विधिक बंटवारा कराये किसी प्रकार का बेचान, बख्शीश, हस्तानांतरण, रहन इत्यादि नही करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से रोक टोक दखल अन्दाजी नही करे, अप्रार्थी सं. 15 तहसीलदार कुचामनसिटी राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, अप्रार्थी सं. 16 उप पंजीयक कुचामनसिटी (अप्रार्थी सं. 1 से 13 द्वारा प्रस्तुत) किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करे।

आदेश आज दिनॉक 23.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:46:56 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2019.12.03 13:06:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: